I.I.O

प्रेषक

निदेशक
मत्स्य
उत्तर प्रदेश

सेवा में

1. उप निदेशक मत्स्य ....
2. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   मत्स्य पालक विकास अभिकरण..
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय

पत्रांकः 528 /नियो0शा0/मु.म.म.स.यो/2022–23 दिनांकः16 मार्च, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख(रू0 दो करोड मात्र) के सापेक्ष शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 200.00 लाख(रू0 दो करोड मात्र) के बजट आवंटन का प्रेषणः

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–7/2023/234/सत्रह–म–2023–17–1002(099)/2/2023 दिनांकः 15.03.2023(प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 200.00 लाख(रू0 दो करोड मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत धनराशि रू0 200.00 लाख का बजट आवंटित करते हुए व्यय किए जाने की अनुमति शासनादेश में दिए गए शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियम के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
6. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
7. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का होगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है।

9. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

11. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाए। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गई शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

13. उक्त के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–17 लेखा शीर्षक: 2405–मछली पालन के अन्तर्गत 101–अन्तर्देशीय मछली पालन, 05–मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(एम0एम0एम0एस0वाई0), 20–सहायता अनुदान– सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

14. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या...29....पर अंकित है।

भवदीय

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः /नियो0शा0/मु.म.म.स.यो/2022–23 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– श्री अंकुर सिंह वरिष्ठ सहायक को प्रेषित उक्त बजट को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ प्रेषित

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

1.1

प्रेषक

निदेशक
मत्स्य
उत्तर प्रदेश

सेवा में

1. उप निदेशक मत्स्य ....
2. सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   मत्स्य पालक विकास अभिकरण..
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय

पत्रांकः /नियो0शा0/मु.म.म.स.यो/2022–23 दिनांकः 16 मार्च, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख(रू0 दो करोड मात्र) के सापेक्ष शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 200.00 लाख(रू0 दो करोड मात्र) के बजट आवंटन का प्रेषणः

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–7/2023/234/सत्रह–म–2023–17–1002(099)/2/2023 दिनांकः 15.03.2023(प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 200.00 लाख(रू0 दो करोड मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत धनराशि रू0 200.00 लाख का बजट आवंटित करते हुए व्यय किए जाने की अनुमति शासनादेश में दिए गए शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियम के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
6. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
7. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का होगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है।

9. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

11. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाए। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गई शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

13. उक्त के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षकः 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 05-मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(एम0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान- सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

14. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या...29...पर अंकित है।

भवदीय

/

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः 528 /नियो0शा0 /मु.म.म.स.यो /2022–23 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– श्री अंकुर सिंह वरिष्ठ सहायक को प्रेषित उक्त बजट को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ प्रेषित

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-15/03/2023

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-CM MATSYA SAMPADA YOJNA ALLOT 15-03-2023
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
05 - मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	355200 355200	355200 355200
2	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	340480 340480	340480 340480
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	188800 188800	188800 188800
4	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	92800 92800	92800 92800
5	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	440000 440000	440000 440000
6	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	144000 144000	144000 144000
7	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	156800 156800	156800 156800
8	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	292800 292800	292800 292800
9	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	160000 160000	160000 160000
10	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	348800 348800	348800 348800
11	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	232000 232000	232000 232000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
12	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	195200 195200	195200 195200
13	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	270400 270400	270400 270400
14	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	281600 281600	281600 281600
15	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	184000 184000	184000 184000
16	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 280000	280000 280000
17	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	320000 320000	320000 320000
18	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	292800 292800	292800 292800
19	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	419200 419200	419200 419200
20	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	243200 243200	243200 243200
21	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	129600 129600	129600 129600
22	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	238400 238400	238400 238400
23	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	262400 262400	262400 262400
24	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	500800 500800	500800 500800
25	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	299200 299200	299200 299200
26	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	177600 177600	177600 177600
27	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	193600 193600	193600 193600
28	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	368000 368000	368000 368000
29	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	347200 347200	347200 347200
30	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	218880 218880	218880 218880
31	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	292480 292480	292480 292480

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
32	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	297600 297600	297600 297600
33	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	219360 219360	219360 219360
34	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	526400 526400	526400 526400
35	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	264160 264160	264160 264160
36	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	307200 307200	307200 307200
37	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	456000 456000	456000 456000
38	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	256000 256000	256000 256000
39	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	96000 96000	96000 96000
40	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	398400 398400	398400 398400
41	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	347200 347200	347200 347200
42	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	289600 289600	289600 289600
43	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	246400 246400	246400 246400
44	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	235200 235200	235200 235200
45	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	128000 128000	128000 128000
46	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	257600 257600	257600 257600
47	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	291680 291680	291680 291680
48	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	228800 228800	228800 228800
49	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	556800 556800	556800 556800
50	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	208000 208000	208000 208000
51	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	356800 356800	356800 356800

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
52	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	320000 320000	320000 320000
53	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	568000 568000	568000 568000
54	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	230400 230400	230400 230400
55	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	361600 361600	361600 361600
56	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	148800 148800	148800 148800
57	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	569600 569600	569600 569600
58	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	238400 238400	238400 238400
59	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	140480 140480	140480 140480
60	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	251200 251200	251200 251200
61	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	513600 513600	513600 513600
62	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	366880 366880	366880 366880
63	गौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	158400 158400	158400 158400
64	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	296000 296000	296000 296000
65	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	262400 262400	262400 262400
66	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	376000 376000	376000 376000
67	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 280000	280000 280000
68	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	240000 240000	240000 240000
69	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	284800 284800	284800 284800
70	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	160000 160000	160000 160000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20000000 20000000	20000000 20000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़

(रवींद्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by RAVINDRA PRATAP SINGH
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.03.16 12:09:29 +05:30

क्रं	जनपद	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष धनराशि का आवंटन — सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश		
		चयनित लाभार्थियों की संख्या	आवंटित क्षेत्रफल (हे0)	आंवटित धनराशि (रू0 लाख में)
1	AGRA	1	1.8300	2.92800
2	FIROZABAD	2	0.9300	1.48800
3	MATHURA	1	0.9800	1.56800
4	MAINPURI	1	1.0000	1.60000
	(AGRA)	5	**4.7400**	**7.58400**
5	ALIGARH	1	0.9000	1.44000
6	ETAH	1	1.2800	2.04800
7	HATHRAS	2	1.6400	2.62400
8	KASGANJ	1	0.9000	1.44000
	(ALIGARH)	5	**4.7200**	**7.55200**
9	AMBEDKAR NAGAR	5	2.2930	3.66880
10	AYODHYA	3	1.6100	2.57600
11	BARABANKI	5	3.4800	5.56800
12	SULTANPUR	2	1.4300	2.28800
13	AMETHI	3	1.3000	2.08000
	(AYODHYA)	18	**10.1130**	**16.18080**
14	AZAMGARH	1	1.6000	2.56000
15	BALLIA	1	0.6000	0.96000
16	MAU	1	1.4400	2.30400
	(AZAMGARH)	3	**3.6400**	**5.82400**
17	SHAHJAHANPUR	2	1.7500	2.80000
18	PILIBHIT	1	2.0000	3.20000
19	BUDAUN	2	1.2200	1.95200
20	BAREILLY	3	1.4500	2.32000
	(BAREILLY)	8	**6.4200**	**10.27200**
21	BASTI	3	1.9200	3.07200
22	SIDHARTHANAGAR	3	2.2600	3.61600
23	SANT KABIR NAGAR	5	2.8500	4.56000
	(BASTI)	11	**7.0300**	**11.24800**
24	CHITRAKOOT	1	1.0000	1.60000
25	BANDA	2	2.1700	3.47200
26	MAHOBA	1	0.8780	1.40480
27	HAMIRPUR	2	2.3000	3.68000
	(CHITRAKOOT DHAM)	6	**6.3480**	**10.15680**
28	GONDA	4	1.8230	2.91680
29	BALRAMPUR	3	2.3500	3.76000
30	BAHRAICH	3	2.2300	3.56800
31	SHRAVASTI	2	1.5000	2.40000
	(DEVIPATAN)	12	**7.9030**	**12.64480**
32	KUSHI NAGAR	5	3.2100	5.13600
33	GORAKHPUR	5	3.2900	5.26400
34	DEORIA	2	1.6510	2.64160
35	MAHARAJGANJ	4	1.4900	2.38400
	(GORAKHPUR)	16	**9.6410**	**15.42560**
36	JALAUN	1	1.2100	1.93600
37	JHANSI	2	1.1100	1.77600
38	LALITPUR	1	2.0000	3.20000
	(JHANSI)	4	**4.3200**	**6.91200**
39	ETAWAH	2	0.7700	1.23200
40	AURAIYA	2	0.7500	1.20000

क्रं	जनपद	सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश		
		चयनित लाभार्थियों की संख्या	आवंटित क्षेत्रफल (हे0)	आंवटित धनराशि (रू0 लाख में)
41	KANNAUJ	2	1.7500	2.80000
42	KANPUR NAGAR	1	0.8100	1.29600
43	KANPUR DEHAT	2	1.4900	2.38400
44	FARRUKHABAD	1	0.8700	1.39200
	(KANPUR)	**10**	**6.4400**	**10.30400**
45	UNNAO	2	2.1700	3.47200
46	RAEBARELI	2	1.8100	2.89600
47	LUCKNOW	2	2.4900	3.98400
48	LAKHIMPUR KHERI	1	0.8000	1.28000
49	SITAPUR	2	1.5400	2.46400
50	HARDOI	2	1.4700	2.35200
	(LUCKNOW)	**11**	**10.2800**	**16.44800**
51	GHAZIABAD	1	2.0000	3.20000
52	GAUTAM BUDDHA NAGAR	1	0.9900	1.58400
53	BULANDSHAHR	2	2.7500	4.40000
54	BAGHPAT	1	0.5800	0.92800
55	MEERUT	1	1.1800	1.88800
56	HAPUR	2	1.5500	2.48000
	(MEERUT)	**8**	**9.0500**	**14.48000**
57	AMROHA	1	1.7800	2.84800
58	MORADABAD	1	1.7600	2.81600
59	BIJNOR	1	1.6900	2.70400
60	RAMPUR	2	1.8300	2.92800
61	SAMBHAL	3	1.1500	1.84000
	(MORADABAD)	**8**	**8.2100**	**13.13600**
62	PRAYAGRAJ	2	3.1300	5.00800
63	KAUSHAMBI	2	1.7500	2.80000
64	PRATAPGARH	2	1.8700	2.99200
65	FATEHPUR	2	1.6400	2.62400
	(PRAYAGRAJ)	**8**	**8.3900**	**13.42400**
66	MUZAFFARNAGAR	1	0.9300	1.48800
67	SAHARANPUR	2	2.2200	3.55200
68	SHAMLI	1	1.1980	1.91680
	(SAHARANPUR)	**4**	**4.3480**	**6.95680**
69	GHAZIPUR	3	1.8280	2.92480
70	CHANDAULI	2	1.8500	2.96000
71	JAUNPUR	2	1.8600	2.97600
72	VARANASI	2	1.3680	2.18880
	(VARANASI)	**9**	**6.9060**	**11.04960**
73	MIRZAPUR	3	1.3710	2.19360
74	SANT RAVIDAS NAGAR	2	1.5700	2.51200
75	SONBHADRA	3	3.5600	5.69600
	(VINDHYACHAL)	**8**	**6.5010**	**10.40160**
	TOTAL	**154**	**125.0000**	**200.00000**

संख्या: 7 /2023/ 234 / सत्रह-म-2023-17-1002(099)/2/2023

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक:15/03/2023

विषय: मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-101/ नि0शा0/ MPKF/2022-23 दिनांक 25 फरवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 800-अन्य व्यय 12- मत्स्य पालक कल्याण फण्ड 42- अन्य व्यय के अन्तर्गत मत्स्य पालक फण्ड योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों के मत्स्य पालकों और मछुआरों के लिए संचालित है। 75 जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स / पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए अनुदान हेतु रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) को निदेशक मत्स्य के पदनाम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या- 1580/सत्रह-म-2022-17-1002(009)/2/2022 पार्ट-3 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (एम0एम0एम0एस0वाई0) के संचालन हेतु दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त योजना पॉच वर्षों (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए संचालित की जायेगी। योजना का फण्डिंग पैटर्न 40:60 (अनुदान अंश 40 प्रतिशत + लाभार्थी अंश 60 प्रतिशत) निर्धारित है।

3- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-17, लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (एम0एम0एम0एस0वाई0) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में रू0 200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स / पटटाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य

विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पटटे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए अनुदान हेतु रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।
5. अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
6. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
7. आंकडों की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।
8. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार प्राप्त नही हो जाता है।
9. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
11. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर,2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग

द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षकः 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 05-मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (एम0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- E-1-486-X-2022-23- दिनांकः 9-3-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by प्रशान्त शर्मा
Date: 15-03-2023 12:00:59
Reason: Approved

(प्रशान्त शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 7 /234 /2023/ (1) /सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

4- संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।

8- गार्ड फाइल।